[Shri S. S. Kothari]

your eye ? I wanted only half a minute to press my view point. But since you are not permitting me, I shall not say what I have to say.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have given enough latitude. Now, Shri Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य, श्री कोठारी को अपनी बात कहने दीजिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : If he does not want to speak, I shall pass on to the next item.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : हम लोग तो यही देख रहे हैं कि जो सदस्य यहां पर चुपचाप रहे, सभ्यता से व्यवहार करे, उसको मौका नहीं दिया जाता है । मैंने तीन दिन में एक सप्लीमेंटरी मांगा, लेकिन वह भी आप ने नहीं दिया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : But there are ways of putting things. If Shri Madhu Limaye does not want to speak, then I shall pass on to the next item.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री कोठारी को भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए ।

SHRI S. S. KOTHARI : My submission is that we are coming to the end of this session. I feel that some time should be allotted for the discussion of economic matters also. Shri D. N. Patodia has already raised the point in regard to the Fourth Plan. That was a very valid point. I would suggest that in future at least, during the subsequent sessions, some time should be found for economic matters also. I wanted just half a minute to mention this.

12.55 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

GOVERNMENT ANNOUNCEMENT RE FOREIGN CAPITAL INVESTMENT AND COLLABORATION

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल मैं उठाना चाहता हूं, वह पहले भी कार्य-सूची में आया था, लेकिन चूंकि ट्रेन लेट होने के कारण मैं नहीं आ सका, इसलिए उसको आज उठाया जा रहा है ।

इस में पांच छः महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं । पहला यह है कि विदेशी पूंजी और विदेशी सहयोग के बारे में सरकार ने जो घोषणा की थी, वह सदन में न करते हुए, जब कि सदन की बैठक हो रही थी, सदन के बाहर की, जिस से सदन में घोषणा करने के पीछे जो उद्देश्य रहता है, वह खत्म हो गया । उद्देश्य यह रहता है कि जब सदन के सामने कोई बयान आता है, तो सदस्यों का ध्यान उसकी ओर जाता है और अगर वे समझते हैं कि उस बयान में कोई ऐसे महत्व पूर्ण सवाल हैं, जिन पर बहस होनी चाहिए, तो वे बहस के लिए अपने प्रस्ताव वगैरह दे सकते हैं ।

मंत्री महोदय, शायद कह सकते हैं कि इस बयान में कोई नीति के सवाल उठते ही नहीं हैं, यह केवल प्रक्रिया का मामला है । इसलिए इस बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ।

एक बात तो यह है कि इस नीति के सवाल निश्चित रूप से उठते हैं । दूसरे, इसमें डेलीगेशन आफ पॉवर्ज का सवाल भी उठता है । आपने कल जो फैसला दिया था, उसके अनुसार डेलीगेशन ऑफ पॉवर्ज का मामला कमेटी के सामने गया है । इस समय मैं सारे कानूनों का अध्ययन कर के नहीं आया हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या-क्या मामले उठते हैं । लेकिन कल या परसों-पहले नहीं-जो बयान यहां पर रखा गया, उस का पहला वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

"Functions of the Foreign Investment Board Illustrative Lists of Industries

open for foreign investment. The Government has agreed to the delegation of powers to the Foreign Investment Board."

मन्त्री महोदय कृपया सदन को यह जानकारी दें कि किन कानूनों के तहत यह अधिकार बोर्ड को दिया जायेगा, उसका स्वरूप क्या रहेगा और क्या कोई नियम वगैरह बनाये जायेंगे ।

न केवल बोर्ड को कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं, बल्कि बोर्ड की एक उप-समिति भी होगी ।

"The Government have also agreed to the establishment of a Sub-Committee of the Foreign Investment Board."

इसमें कहा गया है कि अगर दो करोड़ रुपये तक विदेशी पूंजी है, तो मामला बोर्ड के सामने जायेगा और एक करोड़ रुपये तक पूंजी है तो मामला उपसमिति के सामने जायगा ।

इस सम्बन्ध में दो सूचियां भी बनाई गई हैं । एक सूची उन उद्योगों की है, जिन में विदेशी पूंजी और विदेशी सहयोग, फारेन कोलेबोरेशन, की गुंजायश है । दूसरी सूची उन उद्योगों की है, जिनमें न विदेशी पूंजी लगाई जा सकती है और न ही विदेशियों के साथ सहयोग की बात हो सकती है । जब मैंने दूसरी सूची देखी-उन उद्योगों की सूची, जिन में विदेशी पूंजी और सहयोग के लिए गुंजायश नहीं है, तो मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि उस में तीन उद्योगों का बिल्कुल उल्लेख नहीं है । एक जगह मैंने व्यापार मंत्री का वह भाषण पढ़ा, जो उन्होंने पिछले महीने शायद एडवाइजरी कौंसिल ऑफ ट्रेड के सामने दिया था । मैं उसका एक ही वाक्य पढ़ कर सुनाता हूं :

"We are tending to take an easy line in the matter of foreign collaboration terms. The supply of machinery, as part of the collaboration, might save the country foreign exchange but it does retard the growth of indigenous know-how and import substitution."

जिन उद्योगों में विदेशी पूंजी और विदेशी सहयोग की गुंजायश नहीं है, उन की सूची में बिस्कुट, आइस्क्रीम और ब्रेसियर्ज का उल्लेख नहीं है, (व्यवधान) यह हंसने की बात नहीं है । अगर हंसना ही है, तो माननीय सदस्य सरकार पर हंसें । इस में मेरा कोई कुसूर नहीं है । बिस्कुट, आइसक्रीम और ब्रेसियर्ज के लिए विदेशी सहयोग की क्या जरूरत है लेकिन इस तरह का विदेशी सहयोग किया गया है । विदेशी सहयोग का साफ़ मतलब है कि यहां से पैसा बाहर जायेगा ।

क्या मन्त्री महोदय इन सब बातों का खुलासा करेंगे और सदन को यह आश्वासन देंगे कि जो अनावश्यक ढंग से विदेशी सहयोग की बात की जाती है, जिसमें हमारी विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है, उसके बारे में सरकार सचेत रहेगी और इन उद्योगों का और अन्य तत्तसम उद्योगों का इस सूची में समावेश करेगी ?

कौन जवाब देगा वित्त मन्त्री या उद्योग मन्त्री ? उद्योग मन्त्री तो अभी यहां आए हैं । उन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी । क्या जवाब देंगे ? अब कल जवाब दिया जाय । कल मेरा भाषण पढ़े तब उत्तर दें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I leave it to the Minister.

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं ने तो सुना नहीं कि आनरेबल मेम्बर ने क्या कहा ।

श्री मधु लिमये : तो कल जवाब दीजिए ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हां कल जवाब दूंगा ।

I am very sorry I could not be present earlier as I was tied up in the Rajya Sabha.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned for lunch till 2 P.M.

13 hrs.

The Lok Sbaha adjourned for lunch till fourteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of ihe clock

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

STATUTORY RESOLUTION RE : ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ORDINANCE; AND THE ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL—*contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up further consideration of the Essential Services Maintenance Bill and the Resolution.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : Sir, before further consideration of the Bill is taken up, I want to know what has happened to the assurance given earlier that a reference will be made to the Committee on Subordinate Legislation and its views will be placed before the House. Unless we know the decision of that Committee, there is no use having further discussion on the Bill.

THE MINISTER OF STATE FOR HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Sir, may I inform the House that a meeting of the Committee was held at 10 O'Clock today and the Chairman of the Committee has been pleased to call another meeting of the Committee at 5 O'Clock to approve the draft [report ? As the decision of the Deputy-Speaker was that pending the report of the Committee the consideration of the Bill can go on in the House, we may proceed with the Bill. I think by this evening the report of the Committee will be ready and it is hoped that it will be available to the House tomorrow.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : In that case, we can have only general discussion and not a discussion on the clauses till we get that report.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Only general discussion is going on.

श्री विश्वनाथन पाण्डेय (सलेमपुर) : सभापति महोदय, सदन के सामने इस समय दो विषय हैं लेकिन दोनों विषयों का आधार एक ही है। एक तो कोठारी साहब का सांविधिक संकल्प है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय, ने जो अध्यादेश जारी किया है उस को निरनुमोदन किया जाय और दूसरा मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत किया है कि आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के सम्बन्ध में। मैं यह समझता हूं कि कोठारी साहब ने जो सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि अध्यादेश का काम अब खत्म हो गया है, इस अध्यादेश को कानून की शक्ल देने के लिये मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात को अपने भाषण में व्यक्त भी किया है कि इस तरह का विधेयक लाने के लिये उन्हें खुशी नहीं है, लेकिन उन्हें परिस्थियों ने मजबूर किया, वातावरण न मजबूर किया, और मजबूरी के साथ वे इसे सदन के सामने लाये हैं।

मैं इसके पहले कि विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहूं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की और उसके अन्तर्गत जितने कर्मचारी जेल भेजे गये, जिनको सेवाओं से मुक्त किया गया, जिन को निलम्बित किया गया या जो नौकरी से बाहर सड़क पर घूम रहे हैं, उनके प्रति सरकार उदारता का व्यवहार करें उन्हें फिर से काम पर लावें। अगर यह वातावरण आप बना लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका काम सरल हो जायगा, सारे सदन के लोग इस को पसन्द करेंगे और जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको भी संतोष होगा।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : मंत्री जी ने यह बात सुनी नहीं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : आप चाहे न सुनें, लेकिन उन्होंने जरूर सुनी है। सभापति